## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 37 / 2025

अनवान : –

1. कमल उम्र–9 वर्ष पुत्र स्व० कालुराम नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता श्रीमति संगीता पत्नी स्व० कालुराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं–8, नजदीक पंचायत ऑफिस निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
2. कुनाल उम्र–7 वर्ष पुत्र स्व० कालुराम नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता श्रीमति संगीता पत्नी स्व० कालुराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं–8, नजदीक पंचायत ऑफिस निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
3. श्रीमति संगीता उम्र–31 वर्ष पत्नी स्व० कालुराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं–8, नजदीक पंचायत ऑफिस निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)।

– प्रार्थीगण

**बनाम्**

1. देवीलाल पुत्र रूपराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं–8, नजदीक पंचायत ऑफिस निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
2. प्रभुराम पुत्र रूपराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं–8, नजदीक पंचायत ऑफिस निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
3. महावीर पुत्र रूपराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं–8, नजदीक पंचायत ऑफिस निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
4. हनुमान प्रसाद पुत्र रूपराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं–8, नजदीक पंचायत ऑफिस निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
5. अमरसिंह पुत्र लालचंद जाति मेघवाल निवासी गांव सिरंगसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़ (राज०)
6. काशीराम पुत्र लालचंद जाति मेघवाल निवासी गांव सिरंगसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ (राज०)
7. मोहनलाल पुत्र लालचंद जाति मेघवाल निवासी गांव सिरंगसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़ (राज०)
8. किशन पुत्र आदुराम जाति मेघवाल निवासी गांव निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
9. देवसीराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज०)
10. बुधराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज०)
11. मंगलाराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज०)
12. मदनलाल पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज०)
13. रूपराम पुत्र आदुराम जाति मेघवाल निवासी गांव निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
14. लालचंद पुत्र आदुराम जाति मेघवाल निवासी गांव निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
15. शकुंतला पत्नी श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवासी गांव पक्का सारना जिला हनुमानगढ (राज०)
16. हसंराज पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज०)
17. सुरेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं–8, नजदीक पंचायत ऑफिस निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
18. गुड्डी पुत्री रूपराम पत्नी महावीर जाति मेघवाल निवासी गांव रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

19. भागा पुत्री रूपराम पत्नी रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी गांव नुआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज०)
20. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)
21. उप पजींयक नोहर जिला हनुमानगढ (राज०)।

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

**निर्णय** **दिनांकः** 08/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ाके गांव नीमला तहसील नोहर का नया खाता सं–234 खसरा सं–269 में 7.7800 हैक्टर बरानी, खसरा सं–290 मे 2.3780 हैक्टर बरानी कुल 7.1580 हैक्टर बरानी रकबा राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के दादा/ससुर अप्रार्थी सं–1 देवीलाल पुत्र रूपराम के नाम से 1/4 हिस्सा सयुंक्त खाता मे दर्ज है। इसी गांव के नया खाता सं–235 खसरा सं–15 में 6.2980 हैक्टर बरानी, खसरा सं–41 में 0.7080 हैक्टर बरानी, खसरा सं–46 मे 6.1340 हैक्टर बरानी, खसरा सं–59 में 7. 4610 हैक्टर बरानी कुल 20.6010 हैक्टर बरानी राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के दादा/ससुर अप्रार्थी सं–1 देवीलाल पुत्र रूपराम के नाम से 1/12 हिस्सा सयुंक्त खाता मे दर्ज है तथा गांव सिरंगसर तहसील नोहर मे नया खाता सं–562 पुराना खाता सं–441 मे खसरा सं–146 मे 0.5060 हैक्टर बरानी, खसरा सं–233/2 मे 6.6030 हैक्टर बरानी कुल 7.1090 हैक्टर बरानी में से 569/14218 हिस्सा सयुंक्त खाता मे व इसी गांव के नया खाता सं–644 पुराना खाता सं–423 मे खसरा सं–1339/145 में 2.6690 हैक्टर बरानी रकबा अप्रार्थी सं–13 रूपराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है।

वादग्रस्त कृषि भूमि मे से गांव नीमला तहसील नोहर का नया खाता सं–234 मे खसरा सं–269 व खसरा सं–290 तथा इसी गांव के नया खाता सं–235 खसरा सं–15, खसरा सं–41, खसरा सं–46, खसरा सं–59 मे प्रार्थीगण के परदादा/दादा ससुर अप्रार्थी सं–13 रूपराम पुत्र आदुराम के नाम से कृषि भूमि थी। अप्रार्थी सं–13 रूपाराम के चार पुत्र अप्रार्थीगण सं–1 ता 4 व दो पुत्रींया है। अप्रार्थी सं–13 ने अपनी दोनो पुत्रीयों को उनके हिस्सानुसार उनकी शादी मे दान दहेज, नकदी आदि दे दिया था। तत्पश्चात अप्रार्थी सं–13 ने पारिवारिक व्यवस्था के तहत मद सं–3 मे वर्णित उक्त खसरो की कृषि भूमि अपने चारो पुत्रो में बांट दी। जिसके तहत मद सं–2 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा/ ससुर अप्रार्थी सं–1 देवीलाल को प्राप्त हुई हुई जो वर्तमान मे अप्रार्थी सं–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है तथा गांव सिरंगसर तहसील नोहर मे नया खाता सं–562 पुराना खाता सं–441 मे खसरा सं–146 में 0.5060 हैक्टर बरानी, खसरा सं–233/2 मे 6.6030 हैक्टर बरानी कुल 7.1090 हैक्टर बरानी व इसी गांव के नया खाता सं–644 पुराना खाता सं–423 मे खसरा सं–1339/145 में 2.6690 हैक्टर बरानी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं–13 ने स्वंय के पास रख ली। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पतिं होने के कारण वादग्रस्त भूमि पैतृक सहदायिकी सम्पतिं है जिसमे अप्रार्थी सं–1 के परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी के रूप मे जन्म से हिस्सा बनता है। चूकिं उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के दादा/ससुर अप्रार्थी सं–1 व परदादा/दादा ससुर अप्रार्थी सं–13 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे है। उक्त भूमि केवल अप्रार्थी सं–1 वा 13 की ही नहीं बल्कि अप्रार्थी सं–1 वा 13 के परिवार का प्रत्येक सदस्य सहदायिकी के रूप मे अपने–2 हिस्सा के मालिक है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी सं–1 देवीलाल के दो पुत्र क्रमशः अप्रार्थी सं–17 सुरेश कुमार व प्रार्थीगण का पति/पिता मृतक कालुराम है। देवीलाल के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के पति/पिता स्व०कालुराम का 1/3 हिस्सा निहित है तथा कालुराम के 1/3 हिस्सा मे प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थीगण के परदादा/दादा ससुर अप्रार्थी सं–13 रूपराम के नाम की गांव सिरंगसर की कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के दादा/ससुर अप्रार्थी सं–1 देवीलाल का 1/7 हिस्सा निहित है तथा देवीलाल के 1/7 हिस्सा मे से प्रार्थीगण के पति/पिता स्व० कालुराम का 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण सं–1 वा 13 काफी वृद्ध है जिसके चलते अप्रार्थीगण सं–1 वा 13 अक्सर बीमार रहते है तथा सोचने समझने में सक्षम नही है तथा अप्रार्थीगण सं–2 वा 3 जो कि तेज तर्रार व होशियार किस्म के है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि स्वंय हड़प करना चाहते है जिसके चलते अप्रार्थीगण सं–2 वा 3 ने अप्रार्थीगण सं–1 वा 13 को अपने अनुचित प्रभाव/दबाव मे ले रखा है तथा अप्रार्थीगण सं–1 वा 13 को किसी से मिलने तक नही देते है। जिस पर प्रार्थीगण ने कई बार अपने रिश्तेदारो तथा परिवार के सदस्यो की पंचायत कर अप्रार्थीगण सं–2 वा 3 को समझाने का प्रयास किया कि प्रार्थीगण के पति / पिता कालुराम का देहांत हो चुका है तथा उक्त कृषि भूमि ही प्रार्थीगण के भरण पोषण का एक मात्र जरिया है इसके अलावा प्रार्थीगण के पास आय का कोई भी जरिया नही है तथा उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पतिं होने के कारण उक्त सम्पतिं मे प्रार्थीगण का जन्म से हित निहित है। इसलिए अप्रार्थीगण सं–1 वा 13 से उक्त भूमि का बंटवारा कर प्रार्थीगण का हिस्सा प्रार्थीगण के नाम करवाने देवें जिस पर अप्रार्थीगण सं–2 वा 3 हर बार बहानेबाजी कर टाल मटोल करते रहे। आज से 3–4 रोज पूर्व प्रार्थीगण ने पुनः रिश्तेदारो को लेकर अप्रार्थीगण सं–2 वा 3 पर दबाव देकर अप्रार्थीगण सं–1 वा 13 से मिल कर वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म, खाला व रास्ता के मध्यनजर वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा करते हुऐ वादग्रस्त कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण का हिस्सा प्रार्थीगण के नाम से करवाने बाबत कहा तो पंचायत के समक्ष अप्रार्थी सं–1, 13, अप्रार्थीगण सं–2 वा 3 ने प्रार्थीगण को उनका हिस्सा देने से इंकार कर दिया तथा अप्रार्थीगण सं–2 वा 3 ने कहा कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि शीघ्र ही अप्रार्थीगण सं–1 वा 13 से अपने नाम से हस्तांतरित करवा लेगें तथा प्रार्थीगण को कोई हिस्सा नहीं देगें। प्रार्थीगण से जो होता है कर ले।

वादग्रस्त कृषि भूमि सयुंक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पतिं है। जिसमे प्रार्थीगण सं–1 वा 2 का जन्म तथा प्रार्थीया सं–3 का अपने मृतक पति कालुराम के 1/3 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा निहित है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म के अनुसार बंटवारा नहीं हुआ है तथा बंटवारा से पूर्व प्रत्येक काश्तकार कर भूमि के प्रत्येक हिस्सा पर बराबर का हक होता है। लेकिन अप्रार्थी सं–1, 2, 3, 13 अवैध तरीके से वादग्रस्त कृषि भूमि हस्तांतरित करने / करवाने की फिराक मे है यदि अप्रार्थी सं–1, 2, 3, 13 अपने अवैध आश्य मे कामयाब हो गऐ तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा मे नही किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने हितो की सुरक्षा के लिए अप्रार्थीगण सं–1, 2, 3, 13 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अत मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय, हस्तांतरित व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स० 234 ख0न0 269 में 7.7800 हैक्ट, ख0न0 290 में 2.3780 हैक्ट बारानी कुल

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

7.1580 हैक्ट भूमि में से अप्रार्थी स० 1 के नाम दर्ज 1/4 व खाता स0 235 की कुल 20.6010 हैक्ट बारानी भूमि में अप्रार्थी स० 1 के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि तथा अप्रार्थी स० 13 के नाम दर्ज ग्राम सिंरगसर तहसील नोहर के खाता स0 562 की कुल 7.1090 हैक्ट भूमि में से 569/14218 हिस्सा भूमि व खाता स0 644 के ख0न0 1339/145 की 2. 6690 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 8 व 13, 14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी स0 13 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि अप्रार्थी स0 13 की स्वयं अर्जित भूमि है अप्रार्थी स0 1 के जीवनकाल में उक्त भूमि में किसी का कोई हक हिस्सा नही है अप्रार्थी स0 13 रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको की घोषणा एवं खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स० 234 ख0न0 269 में 4.7800 हैक्ट, ख0न0 290 में 2.3780 हैक्ट बारानी कुल 7.1580 हैक्ट भूमि में से अप्रार्थी स० 1 के नाम दर्ज 1/4 व खाता स0 235 की कुल 20.6010 हैक्ट बारानी भूमि में अप्रार्थी स० 1 के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि ग्राम सिंरगसर तहसील नोहर के खाता स0 462 की कुल 7.1090 हैक्ट भूमि में से 569/14218 हिस्सा भूमि व खाता स0 644 के ख0न0 1339/145 की 2.6690 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 13 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी स0 1 व 13 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का जन्मजात हक हिस्सा है पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार रोही मौजा नीमला के खाता स0 234 व 235 की भूमि में से अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होना साबित है रोही मौजा नीमला के खाता स0 234, 235 की भूमि के अलावा अन्य सभी खातों की भूमि के पैतृक/दादालाई बाबत प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो की खाता स0 234 व 235 के अलावा अन्य खातों भूमि पैतृक हो अर्थात की अप्रार्थी स0 13 के नाम दर्ज भूमि स्वयं अर्जित भूमि होना साबित है। संयुक्त खाता में दर्ज कोई भी खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा को रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि सयुंक्त खाता मे दर्ज खातेदार द्वारा अपने हक हिस्सा को रहन, बैय किया जा रहा है न की विशेष हिस्सा को अत अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण अप्रार्थी स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है एवं शेष अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स० 234 ख0न0 269 में 4.7800 हैक्ट, ख0न0 290 में 2.3780 हैक्ट बारानी कुल 7.1580 हैक्ट भूमि में से अप्रार्थी स० 1 के नाम दर्ज 1/4 व खाता स0 235 की कुल 20.6010 हैक्ट बारानी भूमि में अप्रार्थी स० 1 के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं न्याययलय हाजा द्वारा अप्रार्थी स0 2 ता 19 के विरूद्ध दिनांक 05.02.2026 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 08/06/2026 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर